

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1593.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 15,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

डिफेंस भुगतान हेतु ₹ 1560.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 15,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर कक्षा नवमी से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 2336.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 23,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण अंतर्गत स्थापना एवं अन्य अनुदान मद में लंबित राशि एवं एरियर्स के भुगतान हेतु ₹ 195.34 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,95,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।